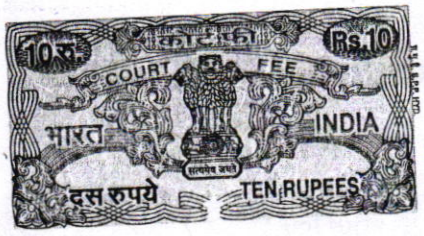

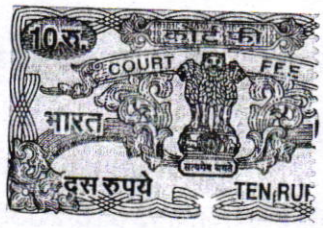

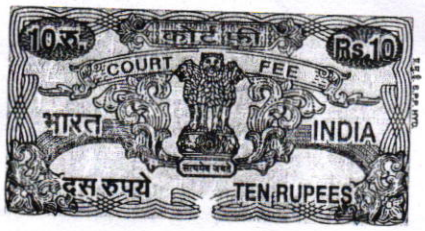

माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर के न्यायालय में

श्री कलौता समाज कल्याण ट्रस्ट तर्फे अध्यक्ष दयाराम परिहार
पता– ग्राम बरोदापंथ तहसील देपालपुर जिला इंदौर

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा/2018/2038

---प्रार्थी

विरुद्ध

बद्रीलाल पिता हरसिंह कलौता
निवासी– ग्राम जलोदिया पंथ तहसील देपालपुर जिला इंदौर

— प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान् अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा 0085/अपील/2017–18 (प्रकरण क्रमांक 103/विविध/14–15) में दिनांक 06/02/2018 को पारित अंतरिम आदेश से असन्तुट होकर प्रार्थी यह निगरानी याचिका निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत करता है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2018/2038 [कलौता समाज/पटीलाल]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-7-2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इन्दौर के आदेश पत्रिका दिनांक 6-2-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपर आयुक्त ने आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया है । उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि जिस आदेश दिनांक 14-8-15 के पुनर्विलोकन की अनुमति का बिन्दु उठाया गया है, उक्त आदेश जिस पीठासीन अधिकारी श्री एस.पी.सिंह द्वारा पारित किया गया था उन्हीं के द्वारा आदेश दिनांक 8-9-15 को अपने आदेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन आवेदन सुनवाई हेतु ग्राह्य कर लिया गया था । म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अनुसार जिस पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया हो, वह स्वयं यदि पुनर्विलोकन कर निर्णय लेता है तो उसे मण्डल के अनुमति की आवश्यक नहीं है । अत: वर्तमान पीठासीन अधिकारी का यह निष्कर्ष कि राजस्व मण्डल से पुनर्विलोकन की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, वह उचित है । वैसे भी अपर आयुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । यह प्रकरण लगभग 8 वर्षों से निराकरण हेतु लम्बित है, अत: अपर आयुक्त को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, प्रकरण का विधिवत निराकरण करें । अध्यक्ष	